



ललित कला

ललित कला अकादेमी
(राष्ट्रीय कला संस्थान)

संविधान

रवीन्द्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग
नई दिल्ली-110 001

Lalit Kala Akademi
(National Academy of Art)

Constitution

Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road
New Delhi-110 001

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated 14th June, 2018

To

The Secretary in Charge,
Lalit Kala Akademi,
Rabindra Bhawan,
New Delhi.

Subject:- Revision of Memorandum of Association of Lalit Kala Akademi
(LKA)-reg.

Madam,

I am directed to refer to LKA's letter No. LK/3034/Admn. Dated 04.06.2018 on the subject mentioned above and to enclose herewith a copy of Gazette Notification dated 27.04.2018 (source:- egazette.nic.in) vide which revised Memorandum of Association Rules and Regulations of Lalit Kala Akademi has been notified in the official Gazette of India, for further necessary action at your end.

Encls.:- As above

Yours faithfully,


(Anub Aich)

Under Secretary to the Government of India
Phone: 2338 9480


[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART 1, SECTION 1
EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, 26th April, 2018

F.No. 3-14/2016.— In accordance with the provisions contained in the Resolution of the Government of India, number 16-8/53 H2, dated the 7th October, 1953 read with item (ii) of sub-clause 12 of clause 17 of the Memorandum of Association of the Lalit Kala Akademi, the Central Government in consultation with the Administrator, hereby makes the amendments to the Memorandum of Association and Rules and Regulations of the Lalit Kala Akademi and the revised Memorandum of Association and Rules and Regulations of the Lalit Kala Akademi is annexed herewith.



(M.L. Srivastava)

Joint Secretary to the Government of India



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2018/वैशाख 7, 1940

No. 152]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2018/VAISAKHA 7, 1940

संस्कृति मंत्रालय

बधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

फा. सं. 3-14/2016.—केन्द्रीय सरकार, प्रशासक के परामर्श पर, ललित कला अकादमी के संगम जापन के खंड 17 के उपखंड 12 की मद संख्या (ii) के साथ पठित भारत सरकार के संकल्प, संख्या 16-8/53 एच2, तारीख 7 अक्तूबर, 1953 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, ललित कला अकादमी के संगम जापन और नियम तथा विनियम और ललित कला अकादमी के पुनरीक्षित संगम जापन और नियम तथा विनियम जो इसके साथ संलग्न हैं, का संशोधन करती है।

एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

ललित कला

का

संगम जापन

1. गठन

सर्जनात्मक दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यकलापों को प्रोत्साहित व समन्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने तथा उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को प्रोन्नत करने के उद्देश्य को आवश्यक समझते हुए निम्नानुसार संकल्प लिया जाता है:-

'ललित कला अकादमी' के नाम से सम्बोधित की जाने वाली "राष्ट्रीय कला अकादमी" की स्थापना की जाएगी।

2. मुख्यालय

अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. संगठन और कार्य

- (1) अकादमी एक निगमित निकाय होगी जिसकी स्थायी मुहर होगी और इस पर और इसके द्वारा मुकदमा इसके निगमित नाम पर चलाया जा सकता है।
- (2) इसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ व कार्य होंगे :-
- (i) चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक आदि जैसी सर्जनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में अध्ययन तथा शोध को प्रोत्साहित व प्रोत्त करना।
 - (ii) क्षेत्रीय कला संगठनों और राज्य ललित कला अकादमियों के कार्यकलापों को प्रोत्साहित व समन्वित करना।
 - (iii) कलाकारों व कला संघों के बीच सहयोग को प्रोत्त करना तथा ऐसे संघों का विकास करना।
 - (iv) जहाँ आवश्यकता हो, क्षेत्रीय कला केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
 - (v) अखिल भारतीय आधार पर सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करके विभिन्न कला विद्यालयों के विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, जिनमें अध्येताओं व शिक्षाविदों एवं राज्य अकादमियों, अंचल सांस्कृतिक केन्द्रों, विश्वविद्यालयों के कला-संकायों, कला कॉलेजों व स्कूलों, कला संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, एवं कला संघों जैसे कला संगठनों की सहभागिता हो।
 - (vi) विनिबंधों, पत्रिकाओं आदि सहित कला साहित्य के प्रकाशन को प्रकाशित तथा संवर्धन करना।
 - (vii) ऐसा पुस्तकालय स्थापित तथा अनुरक्षित करना जो कि विभिन्न संगठनों की जरूरत पूरी करे और विश्व-कला को भी समविष्ट करे।
 - (viii) कला संघों और संगठनों के समुचित विकास व कार्यकारण का संवर्धन करने के उद्देश्य से राज्य अकादमियाँ व सरकारों के परामर्श से कला संघों तथा अन्य कला संगठनों को मान्यता प्रदान करना ताकि उनके माध्यम से कलाकारों की सहायता की जा सके।
 - (ix) कला प्रदर्शनियों, कार्मिक व कला-वस्तुओं के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से देश के भीतर तथा अन्य देशों के साथ भी सांस्कृतिक सम्पर्कों को प्रोत्साहित करना।
 - (x) योग्य कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कार प्रदान करना।
 - (xi) उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कलाकारों को मान्यता प्रदान करना।
 - (xii) लोक, जनजातीय व पारम्परिक कलाओं और शिल्प-तकनीकों के अध्ययन, शोध तथा सर्वेक्षणों का संवर्धन करना, उनके कला रूपों को परिरक्षित और प्रदर्शित करना तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का आयोजन करना तथा जीवित देशज शिल्पकारों, चित्रकारों व मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करना।
 - (xiii) अपने उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के दृष्टि से भूमि खरीदना, सभी प्रकार की सम्पत्ति को स्वामित्व में लेना और उसका अनुरक्षण, विक्रय या अन्यथा निस्तारण करना, और
 - (xiv) अकादमी की किसी भी सम्पत्ति या अधिकार के अवमूल्यन या पुनरुद्धार, स्तरोन्नयन, प्रसार या अनुरक्षण के लिए और खराब परिसंपत्तियों के पुनर्ग्रहण के लिए तथा किसी अन्य उस प्रयोजन के लिए जिस हेतु अकादमी किसी ऐसी निधि या निधियों को सृजित करने या बनाये रखने की बाबत यदि आवश्यक समझा जाए, तो आरक्षित निधि, निक्षेप या किसी अन्य विशेष निधि का सृजन करना परन्तु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का कोई भी या भारत सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय में से उत्पन्न आय के किसी भी भाग को भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई ऐसी निधि को अंतरित नहीं किया जाएगा।

- (xv) कलाकार सहायता निधि और सामाजिक सुरक्षा में उपलब्ध धन से ललित कला कलाकार कल्याण न्यास को सृजित व स्थापित करना और इन शीर्षों के अन्तर्गत सभी भावी निधियों को न्यास शीर्षकों में जमा किया जाएगा।
- (xvi) ऐसे ही अन्य कार्य या तो स्वयं या अन्य संगठनों या व्यक्तियों के सहयोग से करना, जिन्हें अकादमी उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक समझे।

(3) अकादमी की आय और संपत्ति कितनी और कैसी भी हो, का एकमात्र उपयोग तथा प्रयोग संगम ज्ञापन में यथानिर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए किया जाएगा तथा इसका कोई भी हिस्सा, लाभांश, उपहार, अंश, बोनस या सोसाइटी या सोसाइटी की किसी समिति के वर्तमान या पूर्व सदस्यों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी तरह के लाभार्थ भुगतान या अंतरित नहीं किया जाएगा। अकादमी का व्यय सरकारी संगठनों पर यथा प्रयोज्य वित्तीय विवेक के नियमों के अनुपालन में किया जाएगा।

परन्तु, इसकी कोई भी बात, सोसाइटी के किसी अधिकारी या सेवक या सोसाइटी को प्रदत्त किसी सेवा के बदले सोसाइटी में किसी सदस्य को तर्कसंगत और उचित पारिश्रमिक, उचित दरों पर ब्याज का भुगतान या सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी को किराए पर दिए गए परिसर का तर्कसंगत और उचित किराए का भुगतान करने से नहीं रोकेगी।

4. अकादमी के प्राधिकार

अकादमी के प्राधिकारी निम्न होंगे -

- (क) महा-परिषद;
- (ख) कार्यकारी बोर्ड;
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) कोई अन्य स्थायी समिति या समितियाँ जो कि महा-परिषद या कार्यकारी बोर्ड, अपने किसी एक या अधिक कार्य करने के लिए गठित करें।

5. महा-परिषद

महा-परिषद एक सतत् प्राधिकरण होगा जिसके पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों को तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :-

- (i) अध्यक्ष;
- (ii) उपाध्यक्ष;
- (iii) संस्कृति मंत्रालय का वित्त सलाहकार;
- (iv) भारत सरकार के पाँच नामनिर्देशिती अर्थात्, निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय; महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय; अकादमी से संबंधित सभी मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव, भारत सरकार और संस्कृति विभाग के एक अधिकारी, जिनकी समय-समय पर विभाग द्वारा पहचान की जाएगी तथा वित्त सलाहकार, भारत सरकार, संस्कृति विभाग हैं। यदि अन्तिम उल्लिखित नामनिर्देशिती को भारत सरकार द्वारा अकादमी के अंशकालिक वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो नामनिर्देशितियों की संख्या चार होगी। नामनिर्देशित व्यक्ति महा-परिषद के पदेन सदस्य होंगे;
- (v) भारत सरकार के कार्यालयों में पद धारण किए हुए आठ नामनिर्देशिती अर्थात् अध्यक्ष या सभापति, यथास्थिति संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी, महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, सदस्य-सचिव, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, महानिदेशक, आकाशवाणी और दूरदर्शन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महा-परिषद के पदेन सदस्य होंगे;

- (vi) अकादमी के अध्यक्षता उनके निर्वाचन क्रम में सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा उनमें से तीन अध्यक्ष बारी-बारी से अध्यक्ष द्वारा उनकी सदस्यता के बारे में सूचित किए जाने से लेकर तीन वर्षों तक अकादमी के सदस्य होंगे। अध्यक्ष द्वारा चक्रिय रोस्टर तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष तीन वर्षों के लिए सदस्यों के रूप में अध्यक्षताओं को नामनिर्देशिती करेगा तथा किसी भी कारणवश उदभूत रिक्ति के तत्काल पश्चात् उनको सदस्यता के बारे में सूचित करेगा। चक्रिय रोस्टर नामों के क्रम पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। तीन अध्यक्षताओं को महा-परिषद के पदेन सदस्यों के रूप में समझा जायेगा। कोई भी व्यक्ति दो पदावधि से अधिक समय के लिए महा-परिषद का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा और उक्त दोनों कार्यकाल एक-दूसरे के आनुक्रमिक नहीं होंगे।
- (vii) वर्णानुक्रम में राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से, भारत के संविधान में उल्लिखित प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से एक-एक व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने दृश्य और सुनम्य कलाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और जिसकी रिकार्डों में पुष्टि की गई हो। वे पूर्व में महा-परिषद या अकादमी की किसी समिति के सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित तीन नामों में से एक महिला होनी चाहिए। इन तीनों में से एक का चयन, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से नामांकन प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर ऊपर क्रम सं. (ii), (iii) एवं (iv) में वर्णित सदस्य साथ परामर्श करके, अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। चयन में यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 33 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों। इन सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। कोई भी व्यक्ति दो से अधिक पदावधि के लिए महा-परिषद का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा तथा उक्त दो पदावधि एक दूसरे के आनुक्रमिक नहीं होगी।
- (viii) उच्च सत्यनिष्ठा तथा कलाओं के प्रोन्नयन में प्रबंधक व सेवा रिकार्ड वाले दस व्यक्तियों को महा-परिषद द्वारा सरकार को अनुशंसित कम से कम तीन नामों से कला संगठनों व संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। अनुशंसित व्यक्ति विश्वविद्यालयों के ललित कला संकायों, कला महाविद्यालयों व विद्यालयों, कला वीथियों, कला प्रकाशकों और छपाई वाले और कला माध्यमों जैसे मान्यता प्राप्त कला संघों या कला संगठनों के कार्य में लगे हों या उसका प्रतिनिधित्व करते हों। इसमें लोक और जनजातीय कला; समसामयिक कला; पारंपरिक कलाएं और शिल्प; नवीन मीडिया; वास्तुकला; ग्राफिक डिजाइन के क्षेत्र से भी नाम शामिल किए जाएंगे। यदि सरकार किसी कला-कार्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी नाम को उपयुक्त नहीं पाती है तो वह स्वेच्छा से किसी व्यक्ति का नामनिर्देशित कर सकेगी। नामनिर्देशित व्यक्तियों की पदावधि तीन वर्षों की होगी। कोई भी व्यक्ति महा-परिषद का सदस्य दो अवधियों से अधिक नहीं बना रहेगा तथा उक्त दो कार्यावधि एक दूसरे के अनुक्रमिक नहीं होगी, जिसमें उपशमन अवधि अनिवार्य होगी।

टिप्पण 1: जब उपर्युक्त महा-परिषद के एक या अधिक सदस्य दूसरे सदस्यों को नामनिर्देशित करने की शक्ति रखते हों, लेकिन उनको स्वयं को न तो नियुक्त किया गया हो और न तो किसी कारणवश वे इस स्थिति में हों, तो महा-परिषद के अन्य अधिकार प्राप्त सदस्यों द्वारा किए गए नामांकनों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा।

टिप्पण 2: पदेन सदस्य की पदावधि तीन वर्षों से अधिक हो सकेगी। महा-परिषद के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में तीन वर्षों की अवधि के लिए नामांकन सचिव द्वारा वर्तमान पदधारी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व संबंधित नामांकन करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी कारणवश महा-परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित व्यक्ति ऐसा सदस्य नहीं बना रहता तो सचिव द्वारा नामनिर्देशिती प्राधिकारी से किसी अन्य व्यक्ति को तीन वर्षों की अधिशेष पदावधि के लिए नामनिर्देशित करने का अनुरोध किया जाएगा। खण्ड 7 (vii) में मामले के सिवाय जहाँ संबद्ध राज्य सरकारों/संघ-राज्य प्रशासनों के प्रतिनिधियों को अधिशेष तीन वर्षों के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा।

टिप्पण 3: किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का परिवर्तन करने से उपर्युक्त खण्ड (i), (iii), (iv) और (v), की निबंधनों के अधीन पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, तो इससे महा-परिषद् की सदस्यता रिक्त हो जाएगी और उसके पूर्ववर्ती के स्थान पर नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। उस पद पर नवनियुक्त व्यक्ति को यथा स्थिति, अकादमी के अधिकारी के रूप में नियुक्त करने या महा-परिषद् में उसे नामनिर्देशित करने के पश्चात् वह महा-परिषद का सदस्य हो जाएगा।

टिप्पण 4: जहाँ कहीं भी महा-परिषद का कोई सदस्य इस मत का है कि कोई निर्वाचित या नामनिर्देशित व्यक्ति आवश्यक अर्हताएं पूरी नहीं करता है तो वह सदस्य खण्ड 17 में यथा उपबंधित कार्रवाई कर सकेगा।

6. कार्यकारी बोर्ड

कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (i) महा-परिषद का अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा;
- (ii) महा-परिषद का उपाध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड का उपाध्यक्ष भी होगा;
- (iii) संस्कृति मंत्रालय का वित्त सलाहकार;
- (iv) खंड 5 का उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले महा-परिषद के अपने नामनिर्देशित व्यक्तियों में से भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्ति;
- (v) महा-परिषद के सदस्यों में से छः व्यक्तियों का निर्वाचन निम्न-रीति से किया जायेगा; अर्थात्:-
 - (क) खंड 5 का उप-खंड (iv) के अधीन आने वाले राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा महा-परिषद में नामनिर्देशितियों में से महा-परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिन्हें संगठनात्मक व प्रबंधकीय अनुभव हो;
 - (ख) खंड 5 का उप-खंड (viii) के अधीन महा-परिषद के सदस्यों में से महा-परिषद द्वारा प्रबंधन अनुभव वाले तीन व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाएगा;
 - (vi) खंड 5 के उप-खंड (v), (vi) या (vii) के अधीन महा-परिषद के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा प्रबंधन अनुभव वाले तीन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण : कार्यकारी बोर्ड की सदस्यता के लिए महा-परिषद द्वारा निर्वाचित या भारत सरकार या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

7. वित्त समिति

वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (1) संस्कृति मंत्रालय का वित्त सलाहकार जो समिति का अध्यक्ष होगा।
- (2) भारत सरकार का एक नामनिर्देशिती, महा-परिषद के नामनिर्देशितियों में से होगा।
- (3) महा-परिषद द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि।
- (4) कार्यकारी बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि ।

टिप्पण: भारत सरकार, महा-परिषद या कार्यकारी बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट वित्त समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी। तथापि, वित्त सलाहकार जो वित्त समिति का अध्यक्ष भी होता है, की पदावधि तीन वर्ष से अधिक हो सकेगी।

ललित कला अकादमी

के

साधारण नियम और विनियम

1. सोसाइटी का नाम

सोसाइटी का नाम सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का XXI, के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत ललित कला अकादमी होगा। सोसाइटी का कार्यालय रबीन्द्र भवन, नई दिल्ली में होगा।

2. अकादमी के अधिकारी

अकादमी के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् -

- (i) अध्यक्ष;
- (ii) उपाध्यक्ष;
- (iii) संस्कृति मंत्रालय का वित्त सलाहकार; और
- (iv) सचिव।

3. अध्यक्ष

(1) चयन

(i) अध्यक्ष का चयन पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होगा जिसके लिए एक खोज समिति गठित की जाएगी। खोज समिति में तीन सदस्य होंगे एक सदस्य अकादमी की महा-परिषद द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा, अन्य दो सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन सदस्यों में से एक महिला सदस्य होगी। खोज समिति वर्णानुक्रमानुसार तीन नामों का एक पैनल बनाएगी और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी जो पैनल के तीन नामों में से एक नाम अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। पैनलीकृत किए गए नाम दृश्य कलाओं के क्षेत्र में विभिन्न विशिष्टताओं वाले उच्च सत्यनिष्ठा और नैतिक चरित्र संपन्न तथा किसी संगठन के निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए प्रमाणित क्षमता वाले विख्यात व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्णय, उनको सौंपे गए पद की गरिमा के अनुसार, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणः जहां यह आवश्यक हो, भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार की सिफारिश पर छः मास की अधिकतम अवधि के लिए अल्पकालीन अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। छः माह की अवधि की समाप्ति पर नियमित अध्यक्ष पदासीन होना आवश्यक है।

(ii) अध्यक्ष, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के अनधिक अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। तथापि, वह 70 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख से अधिक पद पर नहीं बने रहेंगे। चयन के समय, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अनुशंसित व्यक्ति 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व तीन वर्षों की पूर्णकालिक सेवाएं दे सके। अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः एक पदावधि तक सीमित रहनी चाहिए। तथापि, यदि समुचित हो, असाधारण योग्यता वाले अध्यक्ष को दूसरी पदावधि दी जा सकती है। दूसरी पदावधि पहली पदावधि के क्रम में नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर अधिकतम 6 वर्षों तक निबंधित होगा जिसमें प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि है। अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजने और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर अपना पद छोड़ सकेगा। आकस्मिक रिक्ति महा-परिषद के किसी अन्य सदस्य द्वारा भरी जा सकती है।

(2) कर्तव्य

(i) अध्यक्ष के अकादमी का दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शक्तियाँ व कार्य होंगे, अर्थातः-

- (क) सचिव द्वारा महा-परिषद की ओर से महा-परिषद के निदेशों और कार्यकारी बोर्ड तथा अकादमी की विभिन्न समितियों के निर्णयों के निष्पादन को पर्यवेक्षित व समन्वित करना।
- (ख) महा-परिषद की सदस्यता के लिए अध्येताओं का चक्रीय रोस्टर बनाए रखना।
- (ग) महा-परिषद द्वारा यथा विहित सेवा उप-नियमों और भर्ती नियमों के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन अकादमी के सचिव और समूह 'क' तथा समूह 'ख' कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (घ) महा-परिषद के तीन सदस्यों को कार्यकारी बोर्ड के लिए नामनिर्देशित करना।
- (ङ.) सरकार के साथ जिसके अंतर्गत राज्य सरकार, क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिषद, अन्य अकादमी तथा कला संगठन और संघ भी हैं, अकादमी के कार्यकलापों को समन्वित करना।

(ii) जब परिस्थितियों में ऐसा करना उचित हो तो अध्यक्ष को महा-परिषद या कार्यकारी बोर्ड की ओर से संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसकी अगली बैठक में अनुसमर्थन किए जाने के अध्यधीन, निर्णय लेने की शक्ति होगी।

4. उपाध्यक्ष**चयन**

(i) उपाध्यक्ष का निर्वाचन महा-परिषद की बैठक में महा-परिषद के उपस्थित सदस्यों में से किया जाएगा और उसकी पदावधि तीन वर्ष या उसकी सदस्य के रूप में पदावधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, होगी। तथापि, वह 70 वर्ष की आयु पूरा करने की तारीख के बाद पद पर नहीं बने रहेगा। उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के पास प्रबन्धकीय अनुभव होना चाहिए। कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिए उपाध्यक्ष के पद पर बने रहने का पात्र नहीं होगा और दूसरी पदावधि, पहली पदावधि के अनुवर्ती नहीं होनी चाहिए।

(ii) उपाध्यक्ष, ऐसे मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों। अध्यक्ष की कोई भी कानूनी शक्ति इस प्रकार न्यस्त नहीं की जाएगी। उपाध्यक्ष उस अवधि के दौरान जब अध्यक्ष अनुपलब्ध हों या जब तक अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक अध्यक्ष के पद को अस्थायी रूप से धारण करेगा।

(iii) उपाध्यक्ष अपना पद, अपना इस्तीफा अध्यक्ष के पास भेजकर और अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर त्याग सकेगा।

5. वित्त सलाहकार**(1) चयन**

अकादमी में उचित स्तर के किसी अधिकारी को वित्तीय सलाह देने के लिए वित्त सलाहकार के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा जिसकी मंजूरी व्यय और व्यय वहन करने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए की जाएगी। अकादमी द्वारा उन वित्तीय सीमाओं के संबंध में जहां ऐसी सहमति अनिवार्य है, का निर्धारण सा.वि.नि. 2017 के नियम 229 (viii) के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) कर्तव्य

- (i) वित्त सलाहकार, अकादमी की सम्पत्तियों और निवेशों के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में, वार्षिक अनुमानों और लेखा-विवरणों को तैयार करने और आस्तियों, वस्तुओं तथा सेवाओं पर निधियों को व्यय करने में सलाह देगा, जिनके लिए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा अकादमी को अनुदान प्रदान किए गए हैं।
- (ii) अकादमी के दक्ष प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्त सलाहकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ व कार्य होंगे, अर्थात:-
 - (क) सचिव द्वारा तैयार किए गए अकादमी की बजट की परीक्षा और संवीक्षा करना;
 - (ख) अकादमी के सभी व्यय प्रस्तावों की परीक्षा करना;
 - (ग) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;
 - (घ) समय-समय पर अकादमी की वित्त-व्यवस्था का पुनर्विलोकन करना;
 - (ङ.) अकादमी को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय प्रश्न पर स्वप्रेरणा पर या सचिव के कहने पर सलाह देना।

6. सचिव**(1) चयन**

(i) सचिव अकादमी का पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति इस पद के लिए विहित सेवा-उप-नियमों और भर्ती नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो महा-परिषद का सदस्य है या पिछले पाँच वर्षों के दौरान महा-परिषद का सदस्य रहा है, सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii) सचिव का पद रिक्त नहीं रखा जाएगा। अध्यक्ष, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी आकस्मिक स्थिति में जब तक नए सचिव की नियुक्ति होती है अकादमी के सचिव के कार्यों का तब तक अस्थायी रूप से निर्वहन करने के लिए अकादमी के सबसे जयेष्ठतम अधिकारी का नामनिर्देशित करेगा।

(iii) सचिव, महा-परिषद, कार्यकारी बोर्ड, वित्त समिति और अन्य समितियों, जिनका समय पर गठन किया जाए, का पदेन-सचिव होगा परन्तु इन निकायों में से किसी भी निकाय का उसे सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(2) कर्तव्य

सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

- (i) अकादमी के रिकार्डों और ऐसी अन्य सम्पत्ति/आस्तियां का अभिरक्षक होना;
- (ii) अकादमी के प्राधिकारियों की ओर से शासकीय पत्राचार संचालित करना;
- (iii) अकादमी के प्राधिकारियों और इनमें से किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त सभी समितियों की बैठकों को बुलाने के लिए सभी नोटिस जारी करना;
- (iv) अकादमी के सभी प्राधिकारियों और इनमें से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना;
- (v) अकादमी के लेखे बनाए रखना और समय से वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना;
- (vi) कार्यकारी बोर्ड के नियंत्रण के अधीन अकादमी की सम्पत्ति और निवेशों का प्रबंधन करना तथा वार्षिक प्राक्कलन व लेखा-विवरणों को तैयार करने तथा कार्यकारी बोर्ड व महा-परिषद को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होना;
- (vii) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होना कि सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए वे प्रदान किए गए हैं या आबंटित किए गए हैं;
- (viii) अकादमी की सम्पदा सम्बन्धी सभी संविदाओं और आश्वासनों को कार्यकारी बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् उन पर अकादमी की ओर से हस्ताक्षर करना।

7. गणपूर्ति

महा-परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 25 प्रतिशत होगी और कार्यकारी बोर्ड, वित्त समिति और स्थायी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल पद संख्या का 40 प्रतिशत होगी।

8. रिक्ति

महा-परिषद, कार्यकारी बोर्ड, वित्त समिति या किसी स्थायी समिति में किसी की मृत्यु, त्यागपत्र देने, या अन्य किसी कारण उदभूत से हुई रिक्ति को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाएगा।

9. महा-परिषद के कार्य

महा-परिषद के निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (i) इसके सदस्यों में से उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना।
- (ii) इसके सदस्यों में से कार्यकारी बोर्ड के छह सदस्यों को निर्वाचित करना और कार्यकारी बोर्ड की प्रक्रिया-नियमों को विहित करना।
- (iii) इसके सदस्यों में से वित्त समिति के दो सदस्यों को निर्वाचित करना तथा वित्त समिति की प्रक्रिया-नियमों को विहित करना।
- (iv) कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अकादमी के वार्षिक बजट को मंजूरी देना।
- (v) अकादमी के वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा कराने के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- (vi) (क) अकादमी के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत से और सिफारिश किए गए व्यक्तियों के जीवन वृत्त और कैरियर के आधार पर अकादमी के विद्यमान अध्येताओं द्वारा सिफारिश किए गए नामों में से

प्रत्येक वर्ष एक से अनधिक नए अध्येता का निर्वाचन करना। प्रत्येक अध्येता किसी ऐसे कलाकार, कला समालोचक या कला इतिहासकार का एक से अनधिक नाम की सिफारिश जो विख्यात है या ऐसे व्यक्ति के नाम की जिसने कला के मामले में उत्कृष्ट सेवा की हो;

परन्तु अध्येताओं की संख्या किसी भी समय 25 से अधिक नहीं होगी जिसमें से तीन से अनधिक गैर-भारतीय होंगे।

(ख) अभिलेख पर अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से और कार्यकारी बोर्ड की सलाह पर अध्यक्ष द्वारा कारणों को अन्तर्विष्ट करने वाला कारण बताओ नोटिस के रूप में उक्त अध्येता को भेजी गई संसूचना के पश्चात अकादमी के अध्येताओं की सूची में से अध्येता का हटाया जाना। नोटिस युक्तियुक्त समय में प्रत्यावर्तनीय होगा और उस पर उक्त अध्येता के उत्तर पर विचार करने के पश्चात महा-परिषद उसको अध्येताओं की सूची से हटाने का निर्णय कर सकेगी। किसी अध्येता को महा-परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से हटाया जाएगा।

(vii) कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर उपयोगी कला-सेवा प्रदान करने वाले कला संगठनों को मान्यता प्रदान करना।

(viii) कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों को अनुमोदित करना और उन पर विचार करना।

(ix) इस संगम ज्ञापन और नियम तथा विनियम के अध्यक्षीन, कार्य जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए नियम या संहिता जिसमें नियम, विनियम, उप-नियम व प्रक्रिया-नियम तैयार करना भी है:-

(क) स्थायी समिति जैसे सलाहकार समिति आदि का गठन और उनके कार्य तथा प्रक्रिया नियम बनाना;

(ख) जूरी द्वारा चयन करके कलाकारों, कला इतिहासकारों एवं कला समालोचकों को मान्यता प्रदान करना तथा जूरी-सदस्यों की विशेष नामावली तैयार करना जिससे अकादमी की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए और अन्य चयन करने के लिए जूरी सदस्यों को चुना जाएगा;

(ग) कलाकारों, कला इतिहासकारों और कला समालोचकों को शोध-कार्य के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा अनुदान प्रदान करना;

(घ) अकादमी की स्टूडियो सम्बन्धी सुविधाओं में प्रवेश;

(ङ.) कलाकार कल्याण न्यास और कलाकार सहायता निधि;

(च) अकादमी का प्रलेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय और अभिलेखागार;

(छ) संस्कृति केन्द्रों और अकादमियों तथा राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से कला संगठनों व कला संगम को मान्यता व सहायता प्रदान करना;

(ज) उन व्यक्तियों का आचरण जो कि अकादमी के प्राधिकरणों के सदस्य हैं और अकादमी के कार्यकलापों में लगे हैं;

(झ) महा-परिषद, कार्यकारी बोर्ड, वित्त समिति, स्थायी समिति और जूरी सदस्यों तथा अकादमी के कार्यों में लगे अन्य व्यक्तियों को मानदेय, यात्रा और दैनिक भत्ते तथा अन्य राशियों का संदाय;

(ञ) अकादमी के प्रकाशन का विक्रय;

(ट) अकादमी के भर्ती नियम, सेवा उपनियम और सेवा शर्तें तैयार करना;

ऐसे किसी उप-नियम, नियम और विनियमों, सेवा शर्तों और इनमें किसी परिवर्धन, परिवर्तन या संशोधन करने में भारत सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा; और

(ठ) प्रशासन, लेखे, वित्तीय नियन्त्रण और लम्बित लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों पर की गयी कार्रवाई का पुनर्विलोकन;

(x) कोई अन्य ऐसा कार्य जो कि संगठन के अनुरक्षण और अकादमी के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो।

टिप्पण.- अपने कार्यों के निर्वहन में महा-परिषद नीति सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी ऐसे निर्देशों से मार्गदर्शित होगी। कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण:- अकादमी के प्रयोजनों के लिए, मान्यता प्राप्त कला समालोचक या कला इतिहासकार से ऐसा कला समालोचक या कला इतिहासकार अभिप्रेत है, जिसने अकादमी द्वारा गठित जूरी द्वारा चयन किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी द्वारा प्रदत्त 'अवार्ड या सम्मान योग्य उल्लेख अर्जित किया हो।

10. महा-परिषद की बैठक

महा-परिषद की बैठक वित्त वर्ष के अगस्त और फरवरी मास में अकादमी के मुख्यालय में वर्ष में दो बार होगी। महा-परिषद की विशेष या असाधारण बैठकें किसी भी अन्य समय पर, विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अकादमी के मुख्यालय में बुलाई जा सकेंगी।

11. कार्यकारी बोर्ड के कार्य

कार्यकारी बोर्ड के पास निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (i) महा-परिषद के पर्यवेक्षण के अध्यधीन अकादमी के कार्यकारी प्राधिकार का प्रयोग करना;
- (ii) अकादमी और उसके कार्यालय के कार्य के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होना;
- (iii) अकादमी के कार्यक्रम तैयार करना और महा-परिषद द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में समितियाँ गठित करना;
- (iv) वित्त समिति द्वारा विहित वित्तीय सीमाओं के अध्यधीन अकादमी का वार्षिक बजट तैयार करना जिसे महा-परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा;
- (v) महा-परिषद के विचारार्थ अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और लेख तैयार करना;
- (vi) इस संविधान के नियम और विनियम के खंड 9 के उपखंड (v) के उपबंधों के अध्यधीन जहाँ आवश्यक हो, अकादमी की अध्येतासूची से अध्येता को हटाने की कार्रवाई प्रारम्भ करना;
- (vii) अकादमी से मान्यता प्राप्त करने के पात्र महत्वपूर्ण कला संगठनों के नामों पर विचार और महा-परिषद को प्रस्तावित करना;
- (viii) महा-परिषद की बजटीय सीमाओं और नीति निदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- (ix) संगम ज्ञापन के खंड 7 की मद 4 के अनुसार वित्त समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट करना;
- (x) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या संगठनों में अकादमी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करना;
- (xi) (क) अकादमी के कर्मचारियों की तैनाती के लिए भारत सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप पदों के सृजन का प्रस्ताव करना;
- (ख) सभी कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और नैतिकता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण तथा कल्याण हेतु तथा कला-कर्मचारी की उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए यदि कोई हो, तो स्कीम के अन्तर्गत की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन करना;

(xii) मुख्यालय पर कार्यकारी बोर्ड की तीन माह में कम से कम एक बार बैठकों का आयोजन करना।

12. वित्त समिति के कार्य

वित्त समिति अकादमी के बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगी और उन पर कार्यकारी बोर्ड से सिफारिश करेगी तथा एक वित्त वर्ष के भीतर व्यय की कुल सीमाओं को निर्धारित करेगी।

13. अकादमी की आस्तियां:

(1) अकादमी की सभी चल और अचल सम्पत्तियां/आस्तियां अकादमी में निहित होंगी। केन्द्रीय सरकार या इसके किसी संबद्ध या अधीनस्थ संगठन या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी कानूनी संगठन, यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, अकादमी को केन्द्रीय सरकार से लिखित अनुमोदन के बिना अकादमी की किसी आस्ति को किसी स्वत्व को लाइसेंस या पट्टे पर दो वर्षों से अधिक के लिए देने या बन्धक पर देने, विक्रय करने या अलग करने की शक्ति नहीं होगी।

(2) अकादमी के विघटन की दशा में अकादमी की चल और अचल सम्पत्तियाँ या आस्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी।

14. वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा

(1) सोसाइटी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(2) शासी निकाय से अकादमी के कार्यकरण के संबंध में भारत सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा होगी कि विहित समयावधि के भीतर संपरीक्षित लेखाओं सहित यह रिपोर्ट समय से प्रस्तुत की जाए। ऐसी रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान अकादमी का कार्य संबंधी विवरण अन्तर्विष्ट होगा तथा उसके साथ उक्त वर्ष के दौरान अकादमी की आय और व्यय को दर्शाने वाला सम्यकरूप से संपरीक्षित तुलन-पत्र संलग्न करना होगा।

(3) प्रत्येक वर्ष अकादमी के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंध ग्रहण करना

(1) अकादमी के प्रबंध के सम्बन्ध में गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की दशा में, यदि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि समुचित प्रबंधन कायम करने हेतु सरकार द्वारा अकादमी का प्रबंध ग्रहण करना आवश्यक है और इसमें कोई विलंब अकादमी के हितों में अत्यधिक हानिकारक होगा तो, सरकार आदेश द्वारा तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अकादमी का प्रबंध का ग्रहण कर सकेगी और तीन वर्ष के पश्चात् या उससे पूर्व इसमें इसके पश्चात् कथित रीति में सोसायटी के प्रबंध को छोड़ सकेगी।

(2) सरकार द्वारा अकादमी का प्रबंध ग्रहण करने पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, अवैतनिक सचिव अथवा सम्मानार्थ नियुक्त व्यक्तियों, यदि कोई हैं, महा-परिषद, कार्यकारी बोर्ड, वित्त समिति और अकादमी की सभी स्थायी समितियों के सदस्यों के बारे में समझा जायेगा कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उस रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है। अध्यक्ष, महा-परिषद, कार्यकारी बोर्ड और स्थायी समितियों की शक्तियाँ कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति में निहित हो जाएंगी। प्रशासक, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से उस सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध करेगा। प्रशासक के पर्यवेक्षण, नियन्त्रण और निदेशन के अधीन, वित्त समिति की शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी में निहित होंगी जिसकी नियुक्ति उस सरकार द्वारा की जाए।

16. सरकार द्वारा अकादमी का प्रबंध वापस सौंपना

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा खंड 15 में यथानिर्दिष्ट अकादमी के प्रबंध ग्रहण करने की दशा में उक्त तीन वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले भी यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोसायटी का प्रबंध ग्रहण का प्रयोजन पूरा हो गया है, या किसी अन्य कारण से यह आवश्यक नहीं है कि सोसायटी का प्रबंधन सरकार में निहित रहना चाहिए तो, सरकार आदेश द्वारा उस तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अकादमी का प्रबंधन छोड़ देगी। ऐसी विनिर्दिष्ट से ही, सोसाइटी का प्रबंध संगम ज्ञापन और नियमों तथा विनियमों के अधीन गठित महा-परिषद में पुनः निहित हो जाएगा।

(2) यदि विनिर्दिष्ट तारीख तक, अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही, जहाँ आवश्यक हो, नहीं की जाती है तो, भारत का राष्ट्रपति अकादमी के संगम-ज्ञापन और नियमों तथा विनियमों के अनुसार नियमित अध्यक्ष नियुक्त किये जाने तक एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।

(3) नई महा-परिषद के नामनिर्दिष्ट और निर्वाचित सदस्यों के तीन कैलेंडर वर्ष की पदावधि उस वर्ष शुरू होगी जिसमें वह विनिर्दिष्ट तारीख आती है।

17. अपील प्राधिकारी

अकादमी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के किसी व्यक्ति से सेवा सम्बन्धी ऐसे मामलों, जो एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं के सम्बन्ध में अकादमी के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी अन्तिम विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार की जाएगी तथापि सरकार को, अपने विवेकाधिकार से, सेवा संबंधी ऐसे मामलों में, जो बहुत पुराने हैं, जिनके संबंध में पहले अपील नहीं की जा सकती थी, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपील ग्रहण करने का विकल्प होगा। जहाँ भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, वहाँ व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है भारत के राष्ट्रपति को पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की जाएगी।

18. पुनर्विलोकन समिति : केन्द्रीय सरकार, अकादमी के उद्देश्यों का पुनः मूल्यांकन करने और उसकी उपलब्धियों के साथ-साथ ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी दस वर्षों के अंतराल पर एक पुनर्विलोकन समिति का गठन कर सकेगी। समिति सरकार को रिपोर्ट देगी।

19. केन्द्रीय सरकार के अधिकार

(1) संगम ज्ञापन के उपरोक्त किसी खंड और नियमों एवं विनियमों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, वित्तीय मामलों, कार्य संचालन और अकादमी के कार्य करने के संबंध में, जैसा यह उचित समझे, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी तथा ऐसे निदेश इसी रीति से जारी किए जा सकेंगे। अकादमी इस तरह जारी किए गए निदेशों को तत्काल लागू करेगी। अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषतः केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियां भी प्राप्त होंगी -

- (i) अकादमी को निदेश देना कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित संबंधी मामलों में अपने कार्य आरंभ और निष्पादित करें;
- (ii) अकादमी की संपत्ति और कार्यकलापों के संबंध में, समय-समय पर यथापेक्षित, ऐसी विवरणियां, लेखे और अन्य सूचना मांगना;
- (iii) अकादमी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हेतु प्रस्तावित विदेशी भागीदारी वाले करार का अनुमोदन करना;

परन्तु, 'जनहित' के संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी निर्णय अंतिम होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश अकादमी के अध्यक्ष को लिखित में संबोधित होंगे और इन निदेशों का पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अनुपालना करना अपेक्षित होगा, जिसके न हो सकने पर, स्थिति को संकट-स्थिति माना जाएगा।

20. अनुशासनात्मक मामले

(1) अकादमी के प्राधिकारियों या अकादमी के अधिकारियों, यथा स्थिति को नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या चयन करने की शक्ति, जो भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार में संगम ज्ञापन के किसी खंड, नियम एवं विनियम, प्रक्रिया नियम, सेवा-उपविधियों और अन्य नियम, जिसके अंतर्गत भर्ती नियम भी हैं, में निहित हैं, में प्राकृतिक न्याय के हित में सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात किसी नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या चयनित व्यक्ति को सेवा से हटाने की शक्ति भी है।

(2) जब भी महा-परिषद, कार्यकारी बोर्ड, वित्त समिति या स्थायी समितियों के किसी पूर्व या वर्तमान सदस्य, सम्मानित पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति या ऐसा कलाकार जो अकादमी का स्टूडियो प्रयोग कर रहा हो या विगत में जिसने स्टूडियो का प्रयोग किया हो या अकादमी के कार्यकलापों से संबंधित किसी कला समालोचक या कला इतिहासकार के विरुद्ध आचरण संहिता का उल्लंघन करने या अन्यथा अनुचित आचरण का आरोप लगाया जाता है तथा पचास या अधिक प्रख्यात या

मान्यताप्राप्त कलाकारों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका या अकादमी के पचास या अधिक कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्राप्त होती है, तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिस पर आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोप हो या जिस पर अन्यथा अनुचित आचरण के लिए दोषी होने का आरोप हो, तो ऐसे कृत्य के होने या लोप की जांच करने हेतु अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाएगा। जहां उक्त याचिका में पूर्ववर्ती या वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप अंतर्विष्ट हो और जो सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई हो, वहां राष्ट्रपति द्वारा अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाएगा।

(3) यथास्थिति अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति, अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करेगा और उक्त समिति को अकादमी को हुई हानि के संबंध में सीमित अवधि या हर समय के लिए निंदा करने और वसूली करने की सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) भारत का राष्ट्रपति या अध्यक्ष, अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों पर हटाने के लिए निंदित अध्यक्ष या यथास्थिति उपाध्यक्ष, सदस्य, कलाकार या व्यक्ति को कार्यालय, परिषद, बोर्ड समिति या स्टूडियो से निंदा की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति या अध्यक्ष द्वारा संबंधित व्यक्ति को निंदित करने के यथाशीघ्र सशक्त हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति या अध्यक्ष, अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश के अनुसार अकादमी को हुई हानि की वसूली करने या करवाने का कार्य करेंगे और परिनिंदा की अवधि के दौरान, निंदित कलाकार या व्यक्ति, कलाकारों से युक्त मतदाता क्षेत्र से चुनाव लड़ने तथा अकादमी के स्टूडियो प्रयोग करने या प्रदर्शनियों में प्रदर्शन करने या अकादमियों के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) भारत का राष्ट्रपति या अध्यक्ष को पूर्वोक्त अनुशासनात्मक शक्तियों से सशक्त से पूर्व, अध्यक्ष, सदस्य, कलाकार या पूर्वोक्त व्यक्ति की ओर से, स्वीकृत नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ द्वारा अनुचित आचरण के संबंध में भारत के राष्ट्रपति या अध्यक्ष की पूर्वोक्त अनुशासनात्मक शक्तियों का अवलंब भी लिया जाएगा।

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

F. No. 3-14/2016.—In accordance with the provisions contained in the Resolution of the Government of India, number 16-8/53 H2, dated the 7th October, 1953 read with item (ii) of sub-clause 12 of clause 17 of the Memorandum of Association of the Lalit Kala Akademi, the Central Government in consultation with the Administrator, hereby makes the amendments to the Memorandum of Association and Rules and Regulations of the Lalit Kala Akademi and the revised Memorandum of Association and Rules and Regulations of the Lalit Kala Akademi is annexed herewith.

M.L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF LALIT KALA AKADEMI

1. CONSTITUTION

Whereas it is considered expedient to establish a national organisation to foster and coordinate activities in the sphere of creative visual arts and promote thereby the cultural unity of the country, it is hereby resolved as follow:

A National Academy of Art, to be called 'Lalit Kala Akademi' shall be established.

2. HEADQUARTERS

The headquarters of the Akademi shall be at New Delhi.

3. ORGANIZATION AND FUNCTION

(1) The Akademi shall be a corporate body, shall have perpetual seal and may sue and be sued in its corporate name.

(2) It shall have the following powers and functions, namely:-

- (i) to encourage and promote study and research in the fields of creative arts such as painting, sculpture and graphics etc.;
- (ii) to encourage and coordinate the activities of the regional art organisations and State Lalit Kala Akademis;
- (iii) to promote cooperation among artists and art associations and development of such associations;
- (iv) to encourage, where necessary, the establishment of Regional Art Centres;
- (v) to encourage the exchange of ideas between various schools of art by organising conferences, seminars, exhibitions, etc., on all India basis involving scholars and educationists and State Academies, Zonal Cultural Centres and Art Organisations like faculties of art in universities, art colleges and schools, art museums, art galleries and art associations;
- (vi) to publish and to promote publication of literature on art including monographs, journals etc.;
- (vii) to establish and maintain a Library, catering to the needs of various organisations and covering world art;
- (viii) to give recognition to art associations and other art organizations for assisting artists through them, in consultation with State Akademis and Government in order to promote the proper growth and functioning of art Associations and Organizations;
- (ix) to foster cultural contacts within the country and also with other countries, through art exhibitions, exchange of personnel and art objects, etc.
- (x) to award scholarships and prizes to deserving artists;
- (xi) to accord recognition to artists for outstanding achievements;
- (xii) to promote study, research and survey of folk, tribal and traditional arts and crafts techniques, preserve and project their art forms and to organize regional surveys of and to encourage surviving indigenous craftsmen, painters and sculptors;
- (xiii) in furtherance of its objects and works, to purchase land, own property of all kinds and to maintain, sell mortgage or otherwise dispose of and deal with the same;
- (xiv) to create a Reserve Fund, Sinking Fund, or any other special fund, whether for depreciation or for repairs, improving, extending or maintaining any of the properties or rights of the Akademi and or recoupment of wasting assets and for any other purposes for which the Akademi deems it expedient or proper to create or maintain any such fund or funds, provided that no part of grants received from the Government of India or any part of income derived out of expenditure met from the Government of India grants shall be transferred to any such funds without the prior approval of the Government of India.
- (xv) to create and establish the Lalit Kala Artists's Welfare Trust with the money available in Artists Aid Fund and Social Security and to credit all future funds under these heads to the Trust; and
- (xvi) to do all such other acts either on its own or in conjunction with other organizations or persons as the Akademi may consider necessary, incidental or conducive to the fulfillment of above said objectives.

3. The income and property of the Akademi howsoever derived shall be solely utilised and applied towards the promotion of the aims and objects as set forth in the Memorandum of the Association and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, gift, division, bonus or in any manner whatsoever to the profit of the present or past members of the Society or any committees of the Society. The expenditure of the Akademi shall be incurred in accordance with norms of financial prudence as applicable to Government organisations:

Provided that nothing herein shall prevent the payment in good faith of reasonable and proper remuneration to any officer or servant of the Society or to any member of the Society in return for any services rendered to the Society nor prevent payment of interest at appropriate rates or payment of a reasonable and proper rent for premises let out to the Society by any member thereof.

4. AUTHORITIES OF THE AKADEMI

The following shall be the authorities of the Akademi:

- (a) The General Council;
- (b) The Executive Board;
- (c) The Finance Committee;
- (d) Any other Standing Committee or Committees which the General Council or the Executive Board may set up for discharging any one or more of their functions.

5. GENERAL COUNCIL

The General Council shall be a continuing authority with its members other than ex-officio members appointed for a term of three years and shall consist of the following, namely:-

- (i) Chairman;
- (ii) Vice Chairman;
- (iii) Financial Adviser of the Ministry of Culture;
- (iv) Five nominees of the Government of India, namely, Director, National Gallery of Modern Art; Director General, National Museum; Joint Secretary to the Government of India in charge of matters relating to the Akademi and holder of one more office in the Department of Culture identified from time to time by the Department and the Financial Adviser to the Government of India in the Department of Culture. If the last mentioned nominee is appointed by the Government of India as the part time Financial Adviser of the Akademi then the number of nominees shall be four. The nominees shall be ex-officio members of the General Council;
- (v) Eight nominees of the Government of India holding offices, namely, the Chairperson or President, as the case may be, the Sangeet Natak Akademi and Sahitya Akademi; the Director General of the Indian Council for Cultural Relations; the Member Secretary of the Indira Gandhi National Centre for Arts; the Directors General of Akashwani and Doordarshan; Chairman of the All India Council for Technical Education and Chairman, University Grants Commission shall be ex-officio members of the General Council;
- (vi) Fellows of the Akademi will be listed in order of their selection as Fellows and three of them will be members of the Akademi by rotation for three years from the date they are informed of their membership by the Chairman. The rotation roster shall be maintained by the Chairman who shall nominate the Fellows as members for three years and inform them of their membership soon after a vacancy arises for any reason whatsoever. The decision of the Chairman on the order of names in the rotation roster shall be final. The three Fellows shall be deemed to be ex-officio members of the General Council. No person shall be eligible to be a member of the General Council for more than two terms and the two terms shall not be successive to each other;
- (vii) One person from each of the States and Union Territories enumerated in the Constitution of India, from a panel of three names recommended by the State Government or Union territory administration in alphabetical order. These should be persons of eminence who have made significant contribution in visual and plastic arts endorsed by records. They should not have been member of the General Council, or any of the Committee of the Akademi earlier. At least one out of three names proposed by the States or Union territory should be a woman. Out of these three, one would be selected by the Chairman in consultation with members mentioned in serial (ii), (iii) and (iv) above within a period of one month of receipt of nomination from the State or Union territory. The selection should ensure that at least 33% of the members are women. The term of these members shall be three years. No person shall be eligible to be a member of the General Council for more than two terms and the two terms shall not be successive to each other;
- (viii) Ten persons of high integrity and record of management and service in promotion of arts, to be nominated by the Ministry of Culture, Government of India, from at least thirty names recommended to the Government by the General Council. The persons whose names are recommended must be representative of and involved with work of recognised art associations or art organisation like faculties of fine arts in universities, art colleges and schools, art museums, art galleries, art publishers and printers and art media. These should also include names from the sphere of Folk and Tribal Art; Contemporary Art; Traditional Arts and Crafts; New Media; Arts in Architecture; Graphic Design. If the Government does not find any suitable name from those recommended by the General Council to represent any area of work relating to art it may nominate a person *suo motu*. The term of the nominated members shall be three years. The persons nominated shall be deemed to be ex-officio members of the General Council. No person shall be eligible to be a

member of the General Council for more than two terms and two terms shall not be successive to each other, with a mandatory cooling off period.

Note 1.- When one or more of the members of the General Council aforesaid with power to nominate other members or the General Council have themselves not been appointed or are not in position, for any reason whatsoever, nominations made by other empowered members of the General Council present shall not be called in question.

Note 2.- The term of an ex-officio member may exceed three years. In respect of other members of General Council, nominations for a term of three years shall be obtained from the concerned nominating authorities by the Secretary well before the term of the existing incumbent expires. If for any reason whatsoever a person nominated as member of the General Council ceases to be such a member, the nominating authority shall be requested by the Secretary to nominate another person for a term of three years, save in the case of clause 7(vii), where the representative of the concerned State/Union Territory shall be nominated for the balance of the term of three years.

Note 3.- A change of appointee in an office by virtue of which a person is nominated as an ex-officio member in terms of sub clauses (i), (iii), (iv) and (v) above will automatically result in a vacancy in the membership of General Council with the new appointee in office taking the place of his predecessor, The new appointee in office shall become member of the General Council as soon as he is appointed as officer of the Akademi or nominated into the General Council, as the case may be.

Note 4.- Where any member of the General Council is of the view that any person nominated does not fulfill the qualification required in him the member may take action as provided for in Clause 17.

6. EXECUTIVE BOARD

The Executive Board shall consist of the following, namely:

- (i) Chairman of General Council who shall also be Chairman of the Executive Board;
- (ii) Vice Chairman of General Council who shall also be Vice-Chairman of the Executive Board;
- (iii) Financial Adviser of Ministry of Culture;
- (iv) Three members nominated by the Government of India from among their nominees on the General Council falling under sub-clause (iv) of clause 5;
- (v) Six persons to be elected from amongst the members of the General Council in the following manner, namely: -
 - (a) Three persons with organisational and management experience to be elected by the General Council from among those nominated to the General Council by State Government and Union territory Administrations falling under sub-clause (iv) of clause 5;
 - (b) Three persons with management experience to be elected by the General Council from among the members of the General Council falling under sub-clause (viii) of clause 5;
- (vi) Three persons with management experience to be nominated by the Chairman from among the members of the General Council falling under sub-clauses (v), (vi) or (vii) of clause 5.

Note.- The term of the members of the Executive Board as are elected by the General Council or nominated by the Government of India or the Chairman for membership of the Executive Board shall be three years.

7. FINANCE COMMITTEE

The Finance Committee shall consist of the following , namely:-

- (1) The Financial Adviser of the Ministry of Culture who will be the Chairman of the Committee.
- (2) One nominee of the Government of India from among its nominees on the General Council.
- (3) Two representatives of the General Council nominated by it from among its members.
- (4) One representative of the Executive Board nominated by it from among its members.

Note.- The term of the members of the Finance Committee as are nominated by the Government of India, the General Council or the Executive Board shall be three years. However, the term of the Financial Advisor, who is Chairperson of the Finance Committee, may exceed three years.

**GENERAL RULES AND REGULATIONS
OF
LALIT KALA AKADEMI**

1. NAME OF THE SOCIETY

The name of the Society as registered under the Registration of Societies Act XXI of 1860 shall be Lalit Kala Akademi. The Office of the Society shall be situated in Rabindra Bhavan at New Delhi.

2. OFFICERS OF THE AKADEMI

The following shall be the officers of the Akademi namely:

- (i) Chairman;
- (ii) Vice Chairman;
- (iii) Financial Advisor of the Ministry of Culture; and
- (iv) Secretary.

3. CHAIRMAN

(1) Selection

(i) The selection of the Chairman shall be through a transparent selection process, for which a Search Committee shall be constituted. The Search Committee shall consist of three members, one member shall be nominated by the General Council of the Akademi, the other two members shall be nominated by the President of India and one out of three members may be a woman. The Search Committee shall draw a panel of three names in alphabetical order and submitted to the President of India who shall appoint one of the three names in the panel as the Chairman of the Akademi. The names empanelled shall be eminent persons from different specialisations in the field of visual arts, having high integrity and moral character and widely respected with proven capability to run an organisation smoothly. The conditions of service of the Chairman shall be decided by the Government of India appropriate to the status accorded to him.

Note.- Where it becomes necessary, the President of India may appoint a protem Chairman for a maximum period of six months on the recommendation of the Government of India. A regular Chairman must be in position on the expiry of six months.

(ii) The Chairman shall hold office for a term not exceeding three years from the date on which he or she assumes office. However, he or she shall not continue in office beyond the date he or she completes 70 years of age. At the time of selection, due care may be taken to ensure that the person recommended is able to serve full time of three years before attaining the age of 70 years. The term of a Chairman should ordinarily be limited to one term. However, a Chairman of exceptional merit, may be given a second term, if felt appropriate. Second term should not be in continuation of the first term. The maximum number of years a person can be Chairman shall be restricted to six years, comprising two terms of three years each. The Chairman may demit his office by resignation sent to the President of India and on its acceptance by the President of India. Casual vacancy can be filled up by any other member of the General Council.

(2) Duties

(i) In order to ensure efficient administration of the Akademi, the Chairman shall inter-alia, have the following powers and functions, namely:-

- (a) to supervise and coordinate on behalf of the General Council the execution of the directions of the General Council and the decisions of the Executive Board and the various committees of the Akademi by the Secretary;
- (b) to maintain the rotation roster of Fellows for membership of General Council;
- (c) to appoint the Secretary and Group 'A' and Group 'B' employees of the Akademi, in accordance with the Service Bye-Laws and Recruitment Rules, as prescribed by the General Council, subject to the approval of Government of India;
- (d) to nominate three members of the General Council to the Executive Board; and
- (e) to coordinate activities of the Akademi with Governments, including State Governments, Zonal Cultural Councils, other Akademies, and Art organisations and associations.

(ii) The Chairman shall have the power to take a decision on behalf of the General Council or the Executive Board when circumstances so warrant subject to ratification by the respective authority at its next meeting.

4. VICE CHAIRMAN**Selection**

(i) The Vice Chairman shall be elected in a meeting of the General Council from amongst the members of the General Council present and for a term of three years or up to the end of his term as member if it falls earlier. However, he or she shall not continue in office beyond the date he or she completes 70 years of age. The person elected as Vice Chairman must have managerial experience. No person shall be eligible to hold office of Vice Chairman for more than two terms and the second term should not be in continuation of first term.

(ii) The Vice Chairman shall assist the Chairman in such matters as are entrusted to him by the Chairman. No Statutory power of the Chairman shall be so entrusted. The Vice Chairman shall temporarily hold the office of the Chairman during the period in which the Chairman is unavailable, till the Chairman resumes office.

(iii) The Vice Chairman may demit his office by resigning and on his resignation being accepted by the Chairman.

5. FINANCIAL ADVISER**(1) SELECTION**

An officer of appropriate level in the Akademi to be designated as Financial Adviser to render financial advice whose concurrence should be obtained for sanction and incurring of expenditure. The financial limits up to which such concurrence is mandatory may be drawn up by the Akademi as per rule 229 (viii) of GFR, 2017.

(2) DUTIES

(i) The Financial Adviser shall advise the Akademi in all matters relating to the management of the properties and investment of the Akademi, preparation of the annual estimates and statements of accounts and the expenditure of funds on assets, goods and services for which moneys have been granted to Akademi by the Government by reference to the objectives to be achieved.

(ii) In order to ensure efficient management of the Akademi, the Financial Adviser shall, have the following powers and functions, namely:-

(a) to examine and scrutinise the budget of the Akademi prepared by the Secretary;

(b) to examine all expenditure proposals of the Akademi;

(c) to consider the Audit Report;

(d) to review the finances of the Akademi from time to time;

(e) to give advice on any financial question affecting the Akademi either on his own initiative or at the instance of the Secretary.

6. SECRETARY**(1) SELECTION**

(i) The Secretary shall be the full time principal Executive Officer of the Akademi and he shall be appointed by the Chairman as per the prescribed Service Bye-Laws and Recruitment Rules for the post. No Person who is or has been a member of the General Council in the preceding five years shall be eligible for being appointed as Secretary.

(ii) The post of the Secretary shall not be kept vacant. In the event of the contingent situation arising due to unforeseen circumstances, the Chairman shall nominate the next senior most officer of the Akademi to temporarily discharge the duties of the Secretary of the Akademi, till a new Secretary is appointed.

(iii) The Secretary shall be the ex-officio Secretary of the General Council, the Executive Board, Finance Committee and all other Committees, which may be set up from time to time but shall not be deemed to be a member of any of these bodies.

(2) DUTIES

It shall be the duty of the Secretary.-

(i) to be the custodian of the records and such other property or assets of the Akademi;

- (ii) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the Akademi;
- (iii) to issue all notice convening meeting of the authorities of the Akademi and of all committees appointed by any of these authorities;
- (iv) to keep the minutes of all meeting of the authorities of the Akademi and of all committees appointed by any of these authorities;
- (v) to maintain the accounts of the Akademi and ensure the timely preparation of Annual Report and the Audit of the Accounts;
- (vi) subject to the control of the Executive Board, manage the property and investments of the Akademi and be responsible for the preparation of the annual estimate and statements of accounts and for their presentation to the Executive Board and General Council.
- (vii) to be responsible for seeing that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
- (viii) to sign all contracts and assurances of property made on behalf of the Akademi after the same have been approved by the Executive Board.

7. QUORUM

The quorum for meeting of the General Council shall be 25% of the total members and for the meeting of the Executive Board, Finance Committee and Standing Committee the quorum shall be 40% of their total strength.

8. VACANCY

Any vacancy in the General Council, Executive Board, Finance Committee or any Standing Committee arising as a result of death, resignation, or any other reason, shall be filled at the earliest.

9. FUNCTIONS OF THE GENERAL COUNCIL

The General Council shall have the following functions and powers, namely:-

- (i) To elect a Vice Chairman from among its members.
- (ii) To elect six members of the Executive Board from amongst its members and to prescribe the rules of procedure of the Executive Board.
- (iii) To elect two members of the Finance Committee from amongst its members and to prescribe the rules of procedure of the Finance Committee.
- (iv) To approve the annual budget of the Akademi drawn up by the Executive Board.
- (v) To appoint auditors for auditing the annual accounts of the Akademi.
- (vi) (a) To elect, by a majority of at least three fourth of the members present and voting, not more than one new fellow every year from out of names recommended by the existing Fellows of the Akademi, and based on bio-data and career achievements of the persons recommended. Each Fellow may recommend not more than one name of artist, art critic or art historian who is eminent or name of a person who has rendered outstanding service to the cause of art:

Provided that the number of Fellows shall at no time exceed 25, of whom not more than three shall be non-Indians.

(b) Removal of a Fellow from the list of Fellows of the Akademi for sufficient reasons to be placed on record and after communication sent to said Fellow by the Chairman on the advice of the Executive Board, as a show cause notice containing the reasons. The notice shall be returnable within a reasonable time and after considering reply thereto of the said Fellow, the General Council may decide on his removal from the list of Fellows. The removal of a Fellow will be by majority of the total number of members of the General Council and majority of two thirds of the number of members present and voting.

(vii) To grant recognition on the recommendations of the Executive Board to art organisations rendering useful service to art.

(viii) To consider and approve programmes proposed by the Executive Board.

(ix) Subject to the provisions in this Memorandum of Association and Rules and Regulations, the functions also include framing of rules, regulations, bye-laws and rules of procedure including rules or codes for the following:-

- (a) setting up Standing Committee, by whatever names they are called eg. Advisory Committee, their functions and their rules of procedure;
- (b) grant of recognition to artists, art historians and art critics through selection by Juries and preparation and maintenance of a Special Roll of Juries from which Juries for the National and International Exhibitions of the Akademi and for making other selections shall be chosen;
- (c) grant of scholarships, prizes and grants for research to artists, art historians and art critics;
- (d) admission to studio facilities of the Akademi;
- (e) artists Welfare Trust and Artists-Aid-Fund;
- (f) documentation, Publication, Library and Archives of the Akademi;
- (g) grant of recognition and assistance to art organisations and art associations, in consultation with Zonal Cultural Centers and Akademies and Governments or Administrations in States and Union territory Administrations;
- (h) conduct of persons who are members of the authorities of the Akademi and those engaged in activities of the Akademi;
- (i) payment of Honorarium, Travel and Daily allowances and other amounts to members of General Council, Executive Board, Finance Committee, Standing Committees, Members of Juries and others entrusted with work of the Akademi;
- (j) sale of Publication of the Akademi;
- (k) framing of Recruitment Rules, Service Bye-Laws and service conditions of employees of the Akademi:

Provided that any such Bye-Laws, Rules and Regulations, service conditions and any addition, alteration and amendment to these, shall require the approval of the Government of India; and

- (l) administration, accounts financial control and review of action taken on pending audit observations;
- (x) To do any other such acts as may be necessary for the maintenance of the organisation and performance of the functions of the Akademi.

Note.- In the discharge of its functions the General Council shall be guided by such directions on questions of policy as may be issued to it by the Central Government. The decision of the Central Government as to whether a question is or is not one of policy shall be final.

Explanation.- for the purposes of Akademi, the recognized art critic or art historian means, an art critic or art historian, who has won a recognition award or honorable mention given by the Akademi at the National or International level as a result of selection by a jury, constituted by the Akademi.

10. MEETINGS OF THE GENERAL COUNCIL

The General Council shall meet twice a year at the Headquarter of the Akademi in August and February of the Financial Year. Special or Extraordinary meetings of the General Council may be called at the Headquarters of the Akademi, at any other time, to discuss any special agenda.

11. FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE BOARD

The Executive Board shall have the following functions and powers, namely:-

- (i) to exercise the executive authority of the Akademi, subject to the supervision of the General Council;
- (ii) to be responsible for the supervision and control of the work of the Akademi and of its office;
- (iii) to prepare the programmes of the Akademi and to appoint committees in respect of such programmes as approved by the General Council;
- (iv) to draw up the annual budget of the Akademi subject to the financial limits prescribed by the Finance Committee to be submitted for the approval of the General Council;
- (v) to prepare the annual report and accounts of the Akademi for the consideration of the General Council;
- (vi) subject to the provisions of sub-clause (v) of clause 9, to initiate action for removal of a Fellow from the list of Fellows of the Akademi where warranted;

(vii) to consider and propose to the General Council names of important art organisations deserving recognition from the Akademi;

(viii) subject to the budgetary limits and the policy directive, if any, of the General Council, to grant financial assistance to organisations recognised by the Akademi;

(ix) to nominate a member of the Finance Committee in accordance with item 4 of Clause 7 of the Memorandum of Association;

(x) to nominate a person or persons to represent the Akademi in National and International conferences or organisations;

(xi) (a) to propose creation of posts in accordance with the policy guidelines of the Government of India, for employment of staff of the Akademi.

(b) to review action taken under scheme, if any, for assessment for advancement of artist employees and welfare and training and retraining of all the employees to improve their work efficiency and morale;

(xii) to hold meetings atleast once in three months at the Headquarters.

12. FUNCTIONS OF THE FINANCE COMMITTEE

The Finance Committee shall consider the budget estimates of the Akademi, make recommendations thereon to the Executive Board and prescribe the total limits of expenditure within a financial year.

13. ASSETS OF THE AKADEMI

(1) All movable and immovable properties or assets of the Akademi shall vest in the Akademi. The Akademi shall have no powers to license or lease for more than two years or mortgage, sell or part with in any other way possession of any assets of the Akademi without the approval of the Central Government obtained in writing, except where the transfer of possession is to the Central Government or to any of its attached or subordinate organisations or to such statutory organisation under control of Central Government as it may specify.

(2) In case of dissolution of the Akademi, the properties or assets of the Akademi, movable and immoveable shall vest in the Central Government.

14. ANNUAL REPORT AND AUDIT

(1) The financial year of the Society shall be from April 1 to March 31.

(2) The Governing Body shall be required to submit an Annual Report on the working of the Akademi to the Government of India and ensure timely submission of this Report along with the Audited Accounts within the timeframe prescribed. Such report shall contain particulars regarding the work of the Akademi during the previous year and shall be accompanied by a balance sheet duly audited showing the income and expenditure of the Akademi during the said year.

(3) The accounts of the Akademi shall be audited by Comptroller and Auditor General every year.

15. TAKE OVER OF MANAGEMENT BY CENTRAL GOVERNMENT

(1) In the event of serious crisis arising with regard to the management of the Akademi, if the Central Government is of the view, that it is necessary for the Government to take over the management of the Akademi in order to secure proper management and that any delay would be highly detrimental to the interests of the Akademi, the Government may, in accordance with the provisions contained in the Lalit Kala Akademi (Taking over of Management) Act, 1997 by order, take over the management of the Akademi for a period not exceeding three years and relinquish the management of the Society after three years or earlier, in the manner stated hereinafter.

(2) On the takeover of the management of the Akademi by the Government the Chairman, Vice-Chairman, Financial Adviser, Honorary Secretaries or Honorary appointees, if any, the member of the General Council, the Executive Board, the Finance Committee and all the Standing Committees of the Akademi shall be deemed to have vacated their offices, as such, from the date of the takeover. The powers of the Chairman, the General Council, Executive Board and Standing Committees shall be vested in a person appointed by the Central Government as the Administrator,

from the date of the takeover. The Administrator shall carry on the management of the society for and on behalf of the Central Government, subject to the directions of that Government. Subject to the supervision, control and direction of the Administrator the powers of the Finance Committee shall be vested in an officer of the Central Government appointed by that Government.

16. HANDING BACK OF THE MANAGEMENT OF AKADEMI BY GOVERNMENT

(1) In the event of the takeover of the management of the Akademi by the Central Government as referred to in clause 15, on the expiry of the said three years or even earlier if it appears to the Central Government that purpose of taking over of management of the Society has been fulfilled or that for any other reason it is not necessary that the management of the Society should remain vested in the Government, the Government may by order relinquish the management of the Akademi with effect from such date as may be specified in the order. On and from the date so specified, the management of the Society shall vest back in the new General Council as shall be constituted under the Memorandum of Association and the rules and regulations.

(2) If the steps in relation to the appointment of a Chairman, where necessary, are not completed by the specified date, the President of India may appoint a protem Chairman till the regular Chairman is appointed in accordance with the memorandum of association and rules and regulation of the Akademi.

(3) The term of three calendar year, of the nominated and elected members of the new General Council shall begin with the year in which the specified date falls.

17. APPELLATE AUTHORITY

Appeal shall lie from any officer or employee of the Akademi or any person to the Central Government against any final decision of any officer or authority of the Akademi pertaining to service matters which is not more than one year old. However, it shall be open to the Government to entertain; at its discretion appeals pertaining to service matters which are much older, taking into account special circumstances where under the appeals could not be preferred earlier. Where disciplinary action is taken by the President of India, or by Government of India, a review petition shall lie to the President of India from the person proceeded against.

18. REVIEW COMMITTEE

The Central Government may set up a review committee at intervals of 10 years to re-evaluate the objectives and assess the achievements of the Akademi vis-à-vis the goals for which it was set up. The Committee shall submit the Report to the Government.

19. RIGHT OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(1) Notwithstanding anything contained in any of the above clauses of Memorandum of Association, Rules and Regulations, the Central Government may, issue such directives, as it may deem fit, in regard to the financial matters, conduct of business and the functioning of the Akademi and in like manner may issue such directives. The Akademi shall give immediate effect to the directives so issued. In particular the Central Government will have the power, inter-alia-

(i) to give directions to the Akademi as to the exercise and performance of its functions in matters involving national security and public interest;

(ii) to call for such returns, accounts and other information, with respect to the property and activities of the Akademi as may be required from time to time;

(iii) to approve agreements involving foreign collaboration proposed to be entered into by the Akademi:

Provided, that all decisions of the Central Government on 'Public Interest' shall be final.

(2) The directives issued by the Central Government shall be in writing addressed to the Chairman of the Akademi and these directives shall be required to be complied with within a period fortnight, failing which, the situation shall be treated as deemed to be a crisis.

20. DISCIPLINARY MATTERS

(1) The power to appoint, nominate or elect which is vested in President of India, Government of India, Authorities of the Akademi or Officers of the Akademi as the case may be, in terms of any of the clauses in the Memorandum of Association, Rules and Regulations, Rules of the procedure, Service Bye-Laws and other rules including Recruitment Rules shall include the power to remove any person appointed, nominated or elected after giving him an opportunity to be heard in the interest of Natural Justice.

(2) Whenever a violation of the code of conduct or conduct unbecoming otherwise, is alleged against any past or present member of the General Council, Executive Board, Finance Committee or Standing Committees, any person holding an Honorary position or any artist using or who has used a Studio of the Akademi or an art critic or art historian associated with the activities of the Akademi and a petition signed by fifty or more eminent or recognised artists or a petition signed by fifty or more employees of the Akademi is received, the Chairman shall constitute a disciplinary committee to enquire into any act of omission or commission by the person who is alleged to have violated the code of conduct or is alleged to be guilty of conduct unbecoming otherwise. Where the said petition contains allegations against a past or present Chairman and is received by the Government, the President of India shall constitute the said disciplinary committee.

(3) The Chairman or the President of India, as the case may be, shall take action on the basis of the recommendations of the disciplinary committee which shall have powers to recommend censure for a limited period or for all times and recovery of loss caused to the Akademi.

(4) The President of India or Chairman shall be empowered to remove the censured Chairman, or as the case may be, Vice Chairman, Member, artist or person for the period of the censure from the office, Council, Board Committee or studio as soon as the person concerned is censured by the President of India or Chairman on the recommendations of the disciplinary committee. The President of India or Chairman may also effect or cause to be effected recovery of loss to Akademi as recommended by the disciplinary committee and during the period of the censure, the censured artist or person shall be ineligible for election from the constituencies comprising of artists and for using the studios of the Akademi or for display in exhibitions or for awards of, the Akademi.

(5) The aforesaid disciplinary powers of the President of India or Chairman shall also be invoked in relation to conduct unbecoming by reference to accepted moral principles, on the part of Chairman, member, artist or person aforesaid, prior to the empowerment of President of India or Chairman with the disciplinary powers.

